राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(I-13)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2014 / 1810-93 दिनांक : 6.2.15

— : कार्यालय आदेश :—

एस.एल.एन.ए. की 8वीं बैठक दिनांक 30.10.2014 में लिये गये निर्णय तथा भारत सरकार द्वारा फलेक्सी मद हेतु जारी दिशा—निर्देशों के अनुसरण में आईडब्ल्यूएमपी अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर मदवार प्रतिशत राशि का निर्धारण करने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 872—952 दिनांक 24.12.2014 द्वारा दिशा—निर्देश जारी किये गये थे।

एस.एल.एन.ए. की 8वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार विभिन्न स्तरों पर रोके जाने वाली प्रशासनिक मद की प्रतिशत राशि एवं उसमें अनुमत व्यय के सम्बन्ध में निम्नानुसार दिशा—निर्देश जारी किये जाते है :—

स्तर	प्रशासनिक मद के अन्तर्गत कुल परियोजना राशि में से रखे जाने वाली प्रतिशत राशि	उक्त राशि में अनुमत गतिविधियां / व्यय
एस.एल.एन.ए.	0.09%	कार्यालय नवीनीकरण (निर्माण कार्य के अतिरिक्त) आवश्यकतानुसार जिसमें जीआईएस लैब का नवीनीकरण भी सम्मिलित है, परामर्शदाता / विषय विशेषज्ञ की सेवाएं लेना, साफ्टवेयर क्रय, सीए ऑडिट का व्यय, मूवमेंट कोस्ट जैसे पीओएल।
वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर	0.18%	डब्ल्यूसीडीसी / अधिशाषी अभियन्ता कार्यालयों का किराया, कार्यालय नवीनीकरण (निर्माण कार्य के अतिरिक्त), सीए ऑडिट व्यय, आवश्यकतानुसार परामर्शदाता की सेवाएं लेना, साफ्टवेयर क्रय, अधिशाषी अभियन्ता हेतु किराये पर वाहन (as and when required आधार पर) अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय के लेखाकर्मी संविदा आधार पर रखे जाने हेतु व्यय, मूवमेंट कोस्ट जैसे पीओएल।
पीआईए	7.83%	कार्यालय व्यय, डब्ल्यूडीटी एवं सचिव का मानदेय, वाहन किराया, टेली रिपोर्ट तैयार करना, सीए ऑडिट पर व्यय, सूचना सहायक को संविदा पर रखा जाना, मूवमेंट कोस्ट जैसे पीओएल।
जलग्रहण समिति	0.90%	कार्यालय व्यय, स्टेशनरी, फर्नीचर, जलग्रहण समिति सदस्यों को मासिक बैठक भत्ता भुगतान।

उक्त व्यय निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन किया जायेगा :—

1. उक्त व्यय प्रशासनिक मद में राशि की उपलब्धता की सीमा तक ही किया जायेगा।
2. यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि प्रशासनिक मद में किया गया व्यय कुल व्यय की 9% की सीमा में ही हो।
3. उक्त व्यय भारत सरकार / राज्य सरकार / वित्त विभाग / विभाग द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार ही किया जावेगा।

5.2.15

(एम.एस.काला)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
एसएलएनए एवं निदेशक

कमांक : एफ.18(I-13)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2014/1810-93 दिनांक : 6-3-15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, एसएलएनए एवं प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, समस्त
5. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, निदेशालय, समस्त।
8. उपनिदेशक, निदेशालय, समस्त।
9. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, समस्त को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन कार्यरत समस्त अधिशाषी अभियन्ता/पीआईए को उक्त आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें।
10. एसीपी, निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

5.2.15

निदेशक